बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना–15,दिनांक....................

सं0–05/स्था0–10/2016................. भारत – संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल बिहार परिवहन सेवा का गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. ***संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–***

(i) यह नियमावली बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. ***परिभाषाएँ।–***

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(i) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;

(iii) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(iv) "राज्य सरकार" या "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार;

(v) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि;

(vi) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्यूत किये जाने से उपलब्ध रिक्ति;

(vii) "विभाग" से अभिप्रेत है परिवहन विभाग;

(viii) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय–समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;

(ix) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार परिवहन सेवा;

(x) "सदस्य या सेवा सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार परिवहन सेवा में नियुक्ति एवं शामिल व्यक्ति;

(xi) "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग।

(xii) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।

3. *सेवा की संरचना।*—*इस सेवा के विभिन्न कोटि में पदों की संरचना निम्नवत् होगी।*—

पदनाम	प्रास्थिति	अभ्युक्ति
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/करारोपण पदाधिकारी/सहायक राज्य परिवहन पदाधिकारी/सहायक क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी/सहायक परिवहन आयुक्त	राजपत्रित	मूल कोटि
जिला परिवहन पदाधिकारी/उप राज्य परिवहन पदाधिकारी/उप परिवहन आयुक्त	राजपत्रित	प्रथम प्रोन्नति स्तर
संयुक्त परिवहन आयुक्त/संयुक्त राज्य परिवहन पदाधिकारी	राजपत्रित	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
अपर परिवहन आयुक्त/अपर राज्य परिवहन पदाधिकारी	राजपत्रित	तृतीय प्रोन्नति स्तर

(i) नियत तिथि को सेवा के किसी पद पर कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस सेवा में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(ii) उक्त पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय–समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य किया जाय।

(iii) सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय।

(iv) जिला परिवहन पदाधिकारी के 17 पद, उप परिवहन आयुक्त का 01 पद एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त के 02 पद पर पूर्व की भाँति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए चिन्हित रहेगें।

(v) बिहार प्रशासनिक सेवा के चिन्हित पदों को छोड़कर शेष पदों पर जब तक सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति से किसी कोटि के पद की रिक्ति के विरूद्ध पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक ऐसे पद भी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरे जा सकेंगे।

4. ***रिक्तियों की अवधारण।***—

विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के आधार पर 1ली अप्रैल को मूल कोटि के पद की आरक्षण कोटिवार रिक्तियो की गणना की जाएगी तथा आयोग को आरक्षण कोटिवार अधियाचना प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. *आरक्षण।*—

इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होगें।

6. *उम्र सीमा।–*

सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु विज्ञापन वर्ष के 1 ली अगस्त को 21 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

7. *कालावधि।–*

सेवा के उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगा, जैसा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

8. ***मूलकोटि के पद पर नियुक्ति।–***

(i) **मूल कोटि के 50% पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती से बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन ऐसे तरीके से किया जायेगा जैसा वह उचित समझे।**

(ii) **मूल कोटि के शेष 50% पद बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग एवं बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग के योग्य सदस्यों की प्रोन्नति से निम्नवत् भरा जायेगा–**

(क) बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग :–उपलब्ध रिक्ति का 60% पद।

(ख) बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग:– उपलब्ध रिक्ति का 40% पद।

(iii) **सेवा के उच्चत्तर कोटि के पदों पर प्रोन्नतियाँ (प्रोन्नति हेतु चिन्हित पदों के ठीक नीचे वाले पदों से) वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से भरी जायेगी।**

(iv) **विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।**

9. ***परिवीक्षा।–***

(क) **सीधी भर्ती से नियुक्त होनेवाला प्रत्येक पदाधिकारी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा**

(ख) परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर पदाधिकारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नही पाये जाने पर, परिवीक्षा अवधि एक और वर्ष बढ़ायी जा सकेगी। विस्तारित अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नही पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात अगली वेतन वृद्धि तभी अनुमान्य होगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उर्त्तीणता प्राप्त कर ली जाय।

(घ) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा किया जा सकेगा।

10. *प्रशिक्षण*।–

नवनियुक्त पदाधिकारियों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना होगा। प्रशिक्षण की अवधि तथा अन्य प्रावधान संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार द्वारा विनियमावली के माध्यम से किया जा सकेगा।

11. *सम्पुष्टि*।–

परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त पदाधिकारी की सेवा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्पुष्टि किया जा सकेगा–

(क) विहित विभागीय परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त कर लिया हो;

(ख) समय–समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अंत में, यदि परीक्षा हो, तो उसमें उर्तीण हो चुका हो, एवं

(ग) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो ।

12. *वरीयता*।–

(i) मूल कोटि की वरीयता–एक ही वर्ष में प्रोन्नति से नियुक्त पदाधिकारी सीधी भर्त्ती से नियुक्त पदाधिकारी से वरीय होंगे।

(ii) बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग में नियुक्त कर्मी/पदाधिकारी एवं बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग में नियुक्त कर्मी/पदाधिकारी की वरीयता, प्रोन्नति आदेश निर्गत तिथि से निर्धारित होगी। एक ही तिथि में प्रोन्नति आदेश निर्गत होने पर उक्त संवर्गों के मूल कोटि में पहले नियुक्त पदाधिकारी/कर्मी वरीय होगें।

(iii) प्रोन्नत पदों की वरीयता–प्रोन्नत पदों की वरीयता प्रोन्नति आदेश निर्गत तिथि से निर्धारित होगी।

13. *नियंत्रण*।–

(क) इस संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के अधीन होगा।

(ख) इस सेवा के सदस्यों पर परिचालनात्मक नियंत्रण संबंधित जिला पदाधिकारी/ प्रमण्डलीय आयुक्त, जिस जिले/प्रमण्डल में तत्समय पदस्थापित हों, को होगा।

14. अवशिष्ट मामले।–

इस नियमावली से अनाच्छादित शेष मामलों, जिनके संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, के संदर्भ में सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर समान स्तर के कर्मियों के लिए निर्गत सुसंगत नियमावलियों, आदेशों तथा परिपत्रों आदि से शासित होंगे।

15. <u>निरसन एवं व्यावृत्ति</u>।–

(क) इस नियमावली के प्रवृत होने के उपरान्त पूर्व में निर्गत एतद् विषयक संकल्प, परिपत्र, निर्णय, निदेश आदि निरसित समझे जायेंगे।

(ख) अन्य सेवाओं से जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु पूर्व से निर्गत पत्रांक–01–ई0–103/72 परि0–1429, दिनांक–04.03.1972 इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(ग) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व के संकल्प, परिपत्र, निर्णय, निदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या कोई कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि से ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 05/स्था0–10/2016........... पटना–15,दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, ई–गजट शाखा को सी0डी0 सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 प्रतियाँ परिवहन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 05/स्था0–10/2016..941 **पटना–15,दिनांक..**29|01|2020

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/परिवहन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/2020
सरकार के सचिव।

F:\Ravi Sir\CADRE RULE GAZETTE-2.docx-5